न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 90/2018

निर्णय दिनांक:– 06.09.2019

उनवान

1.रामपाल पुत्र मोहरीलाल सिंगवाडिया जाति ब्राहमण निवासी झिलाय तह.निवाई जिला टोंक

2. तेजमल पुत्र मोहरीलाल सिंगवाडिया जाति ब्राहमण निवासी झिलाय तह. निवाई जिला टोंक

–वादीगण

बनाम

1.सूरजमल पुत्र मोहरीलाल सिंगवाडिया जाति ब्राहमण निवासी झिलाय तह. निवाई जिला टोंक

2.रमेश पुत्र मोहरीलाल सिंगवाडिया जाति ब्राहमण निवासी झिलाय तह. निवाई जिला टोंक

3.सीताराम पुत्र मोहरीलाल सिंगवाडिया जाति ब्राहमण निवासी झिलाय तह. निवाई जिला टोंक

4.तहसीलदार निवाई तह.निवाई जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्‌घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थितः– श्री रामवतार शर्मा वकील वादीया

श्री हनुमान शर्मा वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1ता3 आपसे में सगे मॉ जाया भाई है तथा स्व. मोहरीलाल जी के जायन्दा पंत्र वारिस है तथा एक ही परिवार के सदस्य है यह कि आराजी ख. नं. 4153 रकबा 16 बिस्वा, ख.न.4175 रकबा 12 बिस्वा, ख.न.4176 रकबा 05–02 बिस्वा, ख.न. 4177 रकबा 08 बिस्वा, ख.न.4178 रकबा 12 बिस्वा, ख.न. 4179 रकबा 05 बीघा, ख.न.4180 रकबा 01–06 बिस्वा, ख.न.4181 रकबा 05–07 बिस्वा, ख.न. 4182 रकबा 08 बिस्वा,ख.न. 4210 रकबा 11 बिस्वा, कुल किता 10 कुल रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम झिलाय में स्थित है जिसमें वादीगण का 1/6 हक व हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 हक व हिस्सा निहित है जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादीगण मालिक स्वामी चले आ रहे है। यह है कि इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 394/10 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम भैरूपुरा तहसील निवाई में स्थित है जिसमें वादीगण का 1/2 हक व हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 1/2 हक व हिस्सा निहित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज मालिक चले आ रहे है। उपरोक्त भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने पूर्व में खातेदार से कय कर भूमि पर कब्जा एवं आधिपत्य प्राप्त किया था तभी से वादी व प्रतिवादीगण भूमि को मौके पर काश्त कर रहे है वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे मॉ जाया भाई है तथा मोहरीलाल जी की संन्तान है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम मोहरीलाल के स्थान पर सहवनवश रूपनारायण अंकित हो

Scanned by CamScanner

गया जबकि वादीगण रूपनारायण के पुत्र नही है तथा वह मोहरीलाल के पुत्र है व राजस्व रिकार्ड में उनकी वल्दीयत त्रुटिपूर्ण अंकन रह जाने से भविष्य में वादीगण को भंयकर समस्या का सामना करना पड सकता है इस कारण वादीगण की वल्दीयत रूपनारायण के स्थान पर मोहरीलाल अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड को सही व दुरूस्त किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण 1ता 3 की ओर से श्री हनुमान शर्मा एड. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगणो की और से राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा अनुसार प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 आपस में सगे मॉ जाया भाई है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण मोहरीलाल जी के जायन्दा सन्तान व वारिस है वाद ग्रस्त भूमि ख.न. 4153, 4175,4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4210 कुल किता 10 कुल रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम झिलाय में स्थित है जिसमें वादीगण का 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 1ता 3 का 1/6 हिस्सा निहित है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वारिसान के पिता मोहरीलाल के स्थान पर सहवन से मुखिया रूपनारायण जी अंकित हो गया है तथा इस प्रकार ख.न. 394/10 रकबा 10 बीघा ग्राम भैरूपुरा में स्थित है जिसमें वादीगण के पिजा मोहरीलाल के स्थान पर रूपनारायण अंकित हो रखा है जिसे सही व दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण की वल्दीयत रूपनारायण के स्थान पर मोहरीलाल अंकित कर दिया जावे इसमें हम प्रतिवादीगण को कोई आपति व उज्र नही है। राजीनामा तस्दीक किया जाकर तहसीलदार निवाई से उक्त आराजीयात की वल्दीयत की रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार निवाई वादीगण के पिता का नाम मोहरीलाल ही है। उभयपक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस हेतु निवेदन किया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। वकील वादी ने प्रस्तुत वाद का दोहरान करते हुए बहस में बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1ता3 आपसे में सगे मॉ जाया भाई है तथा स्व. मोहरीलाल जी के जायन्दा पंत्र वारिस है तथा एक ही परिवार के सदस्य है यह कि आराजी ख.नं. 4153 रकबा 16 बिस्वा, ख.न.4175 रकबा 12 बिस्वा, ख.न.4176 रकबा 05–02 बिस्वा, ख.न.4177 रकबा 08 बिस्वा, ख.न.4178 रकबा 12 बिस्वा, ख.न. 4179 रकबा 05 बीघा, ख.न.4180 रकबा 01–06 बिस्वा, ख.न.4181 रकबा 05–07 बिस्वा, ख.न. 4182 रकबा 08 बिस्वा,ख.न. 4210 रकबा 11 बिस्वा, कुल किता 10 कुल रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम झिलाय में स्थित है जिसमें वादीगण का 1/6 हक व हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 तां 3 हक व हिस्सा निहित है जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादीगण मालिक स्वामी चले आ रहे है। यह है कि इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 394/10 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम भैरूपुरा तहसील निवाई में स्थित है जिसमें वादीगण का 1/2 हक व हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 1/2 हक व हिस्सा निहित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज मालिक चले आ रहे है। उपरोक्त भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने पूर्व में खातेदार से क्रय कर भूमि पर कब्जा एवं आधिपत्य प्राप्त किया था तभी से वादी व प्रतिवादीगण भूमि को मौके पर काश्त कर रहे है वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे मॉ जाया भाई है तथा मोहरीलाल जी की संन्तान है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम मोहरीलाल के स्थान पर सहवनवश रूपनारायण अंकित हो गया जबकि वादीगण रूपनारायण के पुत्र नही है तथा वह मोहरीलाल के पुत्र है व राजस्व रिकार्ड में उनकी वल्दीयत त्रुटिपूर्ण अंकन रह जाने से भविष्य में वादीगण को भंयकर समस्या का सामना करना पड सकता है इस कारण वादीगण की वल्दीयत रूपनारायण के स्थान पर मोहरीलाल अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड को सही व दुरूस्त किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। प्रतिवादी की ओर से राजीनामा में निवेदन किया गया है कि हमें कोई आपति नही है।

Scanned by CamScanner

उभयपक्षो की बहस का मनन, राजीनामा व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जमाबन्दी खाता संख्या नया 117 कुल किता 10 कुल रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम झिलाय सम्वत 2072–2075 में सीताराम पि. मोहरीलाल हि1/6, रामपाल तेजमल पि. रूपनारायण हि.1/6 अंकन हो रखा है जो गलत है। खाता संख्या 675 कुल किता 29 रकबा 54 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम झिलाय सम्वत 2072 से 2075 में सुरजमल रमेशचन्द सीताराम पिता मोहरीलाल हि.1/3 व रामपाल तेजमल पिता मोहरीलाल हि. 1/3 खातेदार दर्ज है जो सही है। खाता संख्या 251 कुल किता 01 रककबा 10 बीघा वाके ग्राम भैरूपुरा सम्वत 2073से 2076 में सुरजमल पि. मोहरीलाल रमेश पि. मोहरीलाल, सीताराम पि. मोहरीलाल हि.1/2 व रामपाल पि. रूपनारायण तेजमल पि. रूपनारायण हि.1/2 दर्ज है जो गलत है। तहसीलदार निवाई की वल्दीयत रिपोर्ट में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता का नाम मोहरीलाल का अंकन हैं। अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार निवाई को आदेश दिये जाते है कि वादीगण के पिता का दर्ज नाम रूपनारायण व मोहरीलाल के एक ही व्यक्ति होने के संबंध में जांच करें तथा बाद जांच उक्त दोनों व्यक्ति रूपनारायण व मोहरीलाल एक ही हो तो खाता संख्या 117 सम्वत 2072–75 कुल किता 10 कुल रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम झिलाय व खाता संख्या 251 सम्वत 2073–2076 किता 1 कुल रकबा 10–00 बीघा वाके ग्राम भैरूपुरा के राजस्व रिकार्ड में वादीगण की वल्दीयत रूपनारायण के स्थान पर मोहरीलाल अंकित कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

6/9/19

जे.पी.बैरवा
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), निवाई

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

दावा संख्या :– 90/2018
निर्णय दिनांकः– 06.09.2019

उनवान

1.रामपाल पुत्र मोहरीलाल सिंगवाडिया जाति ब्रहमण निवासी झिलाय तह.निवाई जिला टोक
2. तेजमल पुत्र मोहरीलाल सिंगवाडिया जाति ब्रहमण निवासी झिलाय तह. निवाई जिला टोंक

–वादीगण

बनाम

1.सूरजमल पुत्र मोहरीलाल सिंगवाडिया जाति ब्रहमण निवासी झिलाय तह. निवाई जिला टोंक
2.रमेश पुत्र मोहरीलाल सिंगवाड्यिा जाति ब्रहमण निवासी झिलाय तह. निवाई जिला टोंक
3.सीताराम पुत्र मोहरीलाल सिंगवाडिया जाति ब्रहमण निवासी झिलाय तह. निवाई जिला टोंक
4.तहसीलदार निवाई तह.निवाई जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री जे.पी. बैरवा आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री रामावतार शर्मा वकील वादी व हनुमान शर्मा वकील प्रतिदीगण मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार निवाई को आदेश दिये जाते है कि वादीगण के पिता का दर्ज नाम रूपनारायण व मोहरीलाल के एक ही व्यक्ति होने के संबंध में जांच करें तथा बाद जांच उक्त दोनों व्यक्ति रूपनारायण व मोहरीलाल एक ही हो तो खाता संख्या 117 सम्वत 2072–75 कुल किता 10 कुल रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम झिलाय व खाता संख्या 251 सम्वत 2073–2076 किता 1 कुल रकबा 10–00 बीघा वाके ग्राम भैरूपुरा के राजस्व रिकार्ड में वादीगण की वल्दीयत रूपनारायण के स्थान पर मोहरीलाल अंकित कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 09 सन् 2019 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
निवाई(टोंक)

Scanned by CamScanner